फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

नानकी देवी बनाम सरकार

प्रकरण संख्या 10/2025 (2025/10)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		की बहस पर मनन् पश्चात, प्रा० पत्र U/R Act 128 प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 13/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :— 10/2025 जी.सी.एम.एस. संख्या :— 2025/10

1. नानकी देवी पुत्री हुरजी जाति मीना निवासी नेमीसागर वैशाली नगर जयपुर।
2. विशु देवी पत्नी दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. मंजू पोद्दार पत्नी मनोज पोद्दार पुत्र मदनलाल पोद्दार जाति महाजन निवासी 1209, किसान मार्ग, बरकत नगर जयपुर।
4. समस्त जरिये मुख्तार आम मनोज पोद्दार पुत्र मनलाल पोद्दार जाति महाजन निवासी 1209, किसान मार्ग, बरकत नगर जयपुर।

—:प्रार्थीगण:—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. ग्यारसीलाल पुत्र नन्दा जाति रैगर
3. रामप्यारी पत्नी नन्दा जाति रैगर
4. कैलाशचन्द पुत्र रामेश्वर जाति बारागांव ब्राहमण

समस्त निवासी ग्राम बराला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगण:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—श्री सनातन पारीक, एड0—प्रार्थीगण।

—:निर्णय:— दिनांक 13/06/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 98/1 रकबा 1.2645 है0, खसरा नम्बर 98/8 रकबा 1.2392 है0, खसरा नम्बर 135/98 रकबा 0.0506 है0, खसरा नम्बर 98/5 रकबा 0.9231 है0, खसरा नम्बर 98/7 रकबा 1.2013 है0, खसरा नम्बर 139/98 रकबा 0.5311 है0 एवं खसरा नम्बर 98/3 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम बराला पटवार हल्का बराला तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 25.12.2015 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 98/1 रकबा 1.2645 है0, खसरा नम्बर 98/8 रकबा 1.2392 है0, खसरा नम्बर 135/98 रकबा 0.0506 है0, खसरा नम्बर 98/5 रकबा 0.9231 है0, खसरा नम्बर 98/7 रकबा 1.2013 है0, खसरा नम्बर 139/98 रकबा 0.5311 है0 एवं खसरा नम्बर 98/3 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम बराला पटवार हल्का बराला तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 25.12.2015 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ./2025/3062 द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025 को प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।
3. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 25.12.2015 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 98/1 रकबा 1.2645 है0, खसरा नम्बर 98/8 रकबा 1.2392 है0, खसरा नम्बर 135/98 रकबा 0.0506 है0, खसरा नम्बर 98/5 रकबा 0.9231 है0, खसरा नम्बर 98/7 रकबा 1.2013 है0, खसरा नम्बर 139/98 रकबा 0.5311 है0 एवं खसरा नम्बर 98/3 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम बराला पटवार हल्का बराला तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की।
4. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 98/1 रकबा 1.2645 है0, खसरा नम्बर 98/8 रकबा 1.2392 है0, खसरा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 135/98 रकबा 0.0506 है0, खसरा नम्बर 98/5 रकबा 0.9231 है0, खसरा नम्बर 98/7 रकबा 1.2013 है0, खसरा नम्बर 139/98 रकबा 0.5311 है0 एवं खसरा नम्बर 98/3 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम बराला पटवार हल्का बराला तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 25.12.2015 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 30.05.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 25.12.2015 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :– *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खसरा नम्बर 98/1 रकबा 1.2645 है0, खसरा नम्बर 98/8 रकबा 1.2392 है0, खसरा नम्बर 135/98 रकबा 0.0506 है0, खसरा नम्बर 98/5 रकबा 0.9231 है0, खसरा नम्बर 98/7 रकबा 1.2013 है0, खसरा नम्बर 139/98 रकबा 0.5311 है0 एवं खसरा नम्बर 98/3 रकबा 0.6828 है0 वाके ग्राम बराला पटवार हल्का बराला तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 25.12.2015 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। कब्जा न
इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को
दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।
पत्रावली
यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। भंडार हो।
नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner